माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्र. 7/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./2018/0282

राजेन्द्र दुबे पुत्र श्री मिश्रीलाल दुबे, निवासी धर्मशाला रोड, शिवपुरी ....आवेदक

बनाम

म.प्र. शासन ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 29.12.2017 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी म.प्र. के प्र.क्र. 218/2017–18/अ–02 से असंतुष्ट होकर

माननीय न्यायालय,

आवेदन की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य –

1. यहकि, आवेदक के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 69/2/5 रकवा 0.202हैक्टेयर का आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन (डायवर्सन) कराये जाने हेतु विधिवत धारा 172 (1) के तहत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी के समक्ष प्रकरण क्रमांक 128/2017–18/अ–2 आदेश दिनांक 13.11.2017 द्वारा व्यपवर्तन की राशि जमा करा दी गई है।
2. यहकि, न्यायालय तहसीलदार शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 53/2017–18 बी 121 के प्रतिवेदन दिनांक 24.11.2017 द्वारा एक मिथ्या झूठी शिकायत के आधार पर प्रकरण प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक राजेन्द्र दुबे द्वारा ग्राम राजपुरा की भूमि सर्वे नं. 69/2/5 रकवा 0.202हैक्टेयर पर बगैर व्यपवर्तन (डायवर्सन) के छोटे–छोटे टुकड़ों में भूमि विक्रय की जा रही है।
3. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदक के विरूद्ध अनावश्यक झूठे प्रतिवेदन द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी को गलत तथ्यों के आधार पर वरगलाया जा रहा है जबकि तहसीलदार शिवपुरी के प्रतिवेदन में भूखण्ड काटने के संबंध में कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है केवल आवेदक को परेशान करने की मंशा से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण चलाया जा रहा है जिसमें आवेदक को कारण बताओ नोटिस दिया गया है जिसके जवाब में आवेदक द्वारा उक्त भूमि के व्यपवर्तन का आदेश प्रस्तुत किये जाने के उपरांत अपनी कार्यवाही पर विराम नहीं लगाया जा रहा है। जिससे दुखित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष यह निगरानी करना आवश्यक हुआ है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- एक/निग./शिवपुरी/भू.रा./2018/0282

राजेन्द्र दुबे विरूध म0प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28/5/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक-218/2017-18/अ-02 में पारित आदेश दिनांक 29/12/2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 19/7/19 को कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 3 (आर0के0 जैन) 28/5/19 सदस्य	